GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 19, 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.2(15)FD/Tax/2010/pt.-102 dated 20.11.2024, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "the instrument of purchase or lease of land with or without construction", the expression "the instrument of purchase, lease or sub-lease of land with or without construction or of any floor area or space in constructed building" shall be substituted.

This notification shall also be applicable on instruments pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Chief Controlling Revenue Authority or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No. F.4(2)FD/Tax/2025-111]
By order of the Governor,

(Dr. Khushaal Yadav)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 19, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-102 दिनांक 20.11.2024 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "संनिर्माण के साथ या बिना भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "संनिर्माण के साथ या उसके बिना भूमि के या संनिर्मित भवन के किसी फ्लोर एरिया या स्पेस के क्रय, पट्टे या उप-पट्टे की लिखत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

यह अधिसूचना उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किंतु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2025-111]
राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ॰ खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव